अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–05/2022

पंचम सिंह बनाम राज्य एवं अन्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

22/07/25

अपीलार्थी पंचम सिंह, पिता–चन्द्रेश्वर सिंह, ग्राम–भदानीनगर, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–28/2018–19 भगलाल बेदिया वगै0 बनाम् राधेश्याम लाल एवं अन्य में दिनांक–15.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। तदोपरांत उभय पक्ष को नोटिस के माध्यम से सूचना निर्गत कर दिनांक–08.06.2022 को वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई, जो मौजा–लपंगा के खाता सं0–04, प्लॉट सं0–257, रकवा–0.02 ए0, प्लॉट सं0–257, रकवा–0.18 ए0, कुल रकवा–0.20 ए0 से संबंधित है।

अपीलार्थी के द्वारा अपील दायर करने के बाद न्यायालय में लगातार अनुपस्थित हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हे इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन में बताया गया कि यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के दिनांक–15.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत खाते प्लॉट की भूमि विपक्षी सं० 01 के वंशज रामबालक लाल आवदेक के वंशज रूपलाल बेदिया से वर्ष 1960 में अनिबंधित केवाला के माध्यम से खरीदे थे। उक्त भूमि को खीदकर विपक्षी सं० 01 के वंशज उस पर वर्ष 1960 के बाद शांतिपूर्ण दखलकार हुए। द्वितीय के आवेदन अनुसूची 'क' के कॉलम 1 में वर्णित भूमि उक्त आवेदन के वर्णित भूमि के खाता प्लॉट के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत भूमि उप समाहर्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू–वापसी वाद सं० 19/1984 चल चुका है और यह वाद उक्त खाते प्लॉट की कुल 10 डी० भूमि पर चला है। जिसमें कुल 10 डी० भूमि में से 06 डी० खाली भूमि खतियानी रैयत को वापस कर दिया गया और 04 डी० भूमि पर पक्का मकान बना होने के कारण जो आज भी स्थित है। 250 रू० प्रति डी० के दर कुल 1000/– रू० भूमि रैयत को उपलब्ध कराकर वाद को समाप्त कर दिया गया। 02 डी० भूमि राधेश्याम लाल एवं 02 डी० भूमि राधेश्याम लाल एवं उनके छोटे भाई रघुवंश लाल के नाम से निबंधित है, जो वासगित पर्चा में भी वर्णित है। पुनः हजारीबाग भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग के न्यायालय में वर्ष 1992 में भू–वापसी वाद सं० 196/1992 दोबारा दायर किया गया। जिसमें विपक्षी के द्वारा वर्ष 1984 के वाद का निर्णय कोर्ट में दायर करने के बाद न्यायालय उस वाद को वही समाप्त कर दिया। विपक्षी सं० 01 के वंशज आवेदक के वंशज से मौजा लपंगा के खाता सं० 04 प्लॉट सं० 257 कुल रकबा 1.83 एकड, मध्ये रकवा 0.24 एकड़ भूमि का क्रय वर्ष 1960 में किये थे। विपक्षी सं० 01 के द्वारा मात्र 0.1880 एकड भूमि विक्रय किया गया है, जिसका निबंधन कार्यालय गोला में वर्ष 2014 में किया गया है। वर्ष 2014 में विपक्षी सं० 02 को राधेश्याम लाल और रघुवंश लाल के द्वारा मौजा लपंगा के खाता सं० 04 के प्लॉट सं0 257 के अन्तर्गत कुल रकबा 0.24 एकड़ मध्ये रकबा 0.18 एकड भूमि विक्रय किये और तब से विपक्षी सं० 02 उस पर शांतिपूर्ण दखलकार है। विपक्षी सं० 01 के वंशज के द्वारा कुल 0.24 एकड़ भूमि आवेदक के वंशजों से किया गया था, जिसमें से 0.18 एकड़ भूमि विपक्षी सं० 02 को विक्रय किया गया एवं 0.0325 एकड़ भूमि लखन राम को वर्ष 1990 में स्वयं रामबालक लाल के द्वारा विक्रय किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

विपक्षीगण के कुल 0.20 एकड भूमि में से 0.1880 एकड़ भूमि एवं 0.0120 एकड़ भूमि खाता सं0 24 के प्लॉट सं० 258 भी पंचम सिंह के नाम से विक्रय है एवं अन्य 0.02 एकड भूमि खाता सं० 24 के प्लॉट सं0 258 के अन्तर्गत आता है, जो विपक्षी सं० 01 के पास उपलब्ध है। उनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी तरह का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वापस किया जा सकता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के तहत् आवेदित भूमि से प्रथम पक्ष (गैर आदिवासी) को उच्छेदित करने का आदेश देते हुए, 30 दिनों के अन्दर उक्त भू–खण्ड पर खतियानी रैयत के वारिशानों को दखल दिलाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पतरातु/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा लपंगा के खाता नं0–04 रैयती आदिवासी खाते की भूमि है। सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम लपंगा के खाता सं० 04 प्लॉट सं0 257 रकवा 1.33 एकड भूमि के सर्वे रैयत कीनु बेदिया वल्द दुखु बेदिया, कौम बेदिया के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियान के आधार पर भूमि प्राप्त करने का दावा करते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा निबंधित केवाला एवं अनिबंधित केवाला के आधार पर प्राप्त करने का दावा करते है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी 11 के पेज सं0 7/1 पर द्वितीय पक्ष के दादा एवं परदादा कीनु बेदिया के नाम से खाता सं० 04 रकबा 14.59 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। वर्ष 2013–14 तक लगान रसीद निर्गत अंकित है। पंजी ।। के पेज सं० 143/1 पर प्रथम पक्ष के चाचा रामबालक लाल के नाम से खाता सं० 4, 24 रकबा 0.22$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है। वर्ष 2000–01 तक लगान रसीद निर्गत अंकित है। प्रथम पक्ष राधेश्याम लाल के चाचा रामबालक लाल के नाम से अनिबंधित केवाला दिनांक 22.06.1960 में वर्णित ग्राम लपंगा के खाता सं० 04 प्लॉट सं० 257 रकबा 0.23$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि अंकित है। प्रथम पक्ष के पंचम सिंह के नाम से निबंधित केवाला दिनांक 04.06.2014 में वर्णित ग्राम लपंगा के खाता सं० 04 प्लॉट सं0 257 रकबा 0.1880 एकड़ भूमि विक्रेता राधेश्याम लाल वगैरह से खरीदगी से प्राप्त अंकित है। लेकिन प्रथम पक्ष के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त निबंधित एवं अनिबंधित केवाला किसके अनुमति से बनाया गया है। प्रथम पक्ष की कायम जमाबंदी किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है या नहीं, यह भी प्रतिवेदित नहीं है। अर्थात प्रथम पक्ष गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए, अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.09.08 13:47:46 +05:30
Location: 192.168.0.43

Scanned with OKEN Scanner